रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2000/श्रावण 11, 1922
No. 416] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2000/SRAVANA 11, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2000

सा.का.नि. 645(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया) नियम, 1998 में,—

(क) संक्षिप्त नाम में "पीठासीन अधिकारी" शब्द के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;

(ख) नियमों में, "पीठासीन अधिकारी" शब्द, जहां-जहां आते हैं, के स्थान पर "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा;

(ग) नियम 3 के उपनियम (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(4) चयन समिति अपनी निजी प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष के चयन के लिए साक्षात्कार और उसकी नियुक्ति भी है, बना सकेगी :

परन्तु साक्षात्कार की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की दशा में लागू नहीं होगी।

(5) चयन समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए,—

(i) आवश्यक आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची के व्यक्तियों में से, और

(ii) ऐसे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों में से,

व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।"

[फा. सं. 1/10/97-डी.आर.टी.]

अनूप मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2000

G.S.R. 645(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 read with clause (e) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Appellate Tribunal) Rules, 1998, namely :-

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Appellate Tribunal) Rules, 1998,

(a) in the short title, for the words "Presiding Officer", the word "Chairperson" shall be substituted;

(b) in the rules, for the word "Presiding Officer" wherever it occurs, the words "Chairperson" shall be substituted;

(c) In rule 3, for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely :-

"(4) The Selection Committee may devise its own procedure including interview for selection and appointment of Chairperson:

Provided that the procedure of interview shall not apply in case of a Judge of a High Court nominated by the Chief Justice of such High Court.

(5) The Selection Committee shall recommend persons for appointment of Chairperson, -

(i) from amongst the persons from the list of candidates prepared by the Ministry of Finance after inviting necessary applications; and

(ii) from amongst the Judges of High Court nominated by the Chief Justice of such High Courts."

[F. No. 1/10/97-DRT]

ANOOP MISHRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2000

सा. का.नि. 646(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया) नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ऋण वसूली अधिकरण (अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया) नियम, 1998 के नियम 3 में, उपनियम 4 और उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"4. चयन समिति, अपनी निजी प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी के चयन के लिए साक्षात्कार और उसकी नियुक्ति भी है, बना सकेगी।

5. चयन समिति पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए,—

(i) आवश्यक आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में के व्यक्तियों में से, और

(ii) उच्च न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों में से,

व्यक्तियों की सिफारिश करेगी।"

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2000

G.S.R. 646(E).— In exercise of the powers conferred by Section 4 read with clause (e) of sub-section (2) of section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Debts Recovery Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 1998 namely: -

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Debts Recovery Tribunal (Procedure for appointment as Presiding Officer of the Tribunal) Rules, 1998, in rule 3, for sub-rules (4) and (5), the following sub-rules shall be substituted, namely :-

"(4) The Selection Committee may devise its own procedure including conducting interview for selection and appointment of Presiding Officer.

(5) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Presiding Officer, -

(i) from amongst the persons from the list of candidates prepared by the Ministry of Finance after inviting necessary applications; and

(ii) from amongst judicial officers nominated by a High Court."

[F. No. 1/10/97-DRT]

ANOOP MISHRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054